

न्यूज़ टुडे

दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक पेश किया

दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक पेश किया

- यह संकेतक दूरसंचार और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में संदिग्ध धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित, लक्षित एवं सहयोगात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाता है।
- वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (Financial Fraud Risk Indicator: FRI) क्या है?
- यह जोखिम-आधारित मापीय साधन है, जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम से संबद्ध के रूप में वर्गीकृत करता है।
 - यह वर्गीकरण राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP), दूरसंचार विभाग की चक्षु सुविधा और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) से प्राप्त इनपुट तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर आधारित है।
- यह बैंकों, NBFCs और UPI सेवा प्रदाताओं जैसे हितधारकों को उच्च जोखिम वाले मोबाइल नंबरों पर ध्यान केंद्रित करने तथा ग्राहक सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त उपायों को लागू करने में सक्षम बनाएगा।

भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति पर एक नजर

- वित्त वर्ष 2020 और 2024 के बीच लगभग 3,207 करोड़ रुपये मूल्य के साइबर धोखाधड़ी के 5,82,000 मामले दर्ज किए गए थे।
- वित्तीय धोखाधड़ी के कुछ सामान्य तरीके हैं: KYC संबंधी धोखाधड़ी, ग्राहक सेवा संबंधी धोखाधड़ी, UPI संबंधी धोखाधड़ी, कार्ड संबंधी धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट संबंधी धोखाधड़ी, निवेश संबंधी धोखाधड़ी, जल्दी अमीर बनाने की योजनाएं आदि।

भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उपाय

- डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP): यह एक सुरक्षित और एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जो वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने, सूचना का आदान-प्रदान करने और हितधारकों (जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां, बैंक, वित्तीय संस्थाएं आदि) के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।
- संचार साथी पोर्टल पर चक्षु सुविधा: यह नागरिकों को कॉल, SMS या व्हाट्सएप पर प्राप्त धोखाधड़ी के संदेहास्पद संचार को रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि KYC के एक्सपायर होने या बैंक खाते का अपडेट होने का झांसा देना।
- म्यूलहंटर: यह RBI द्वारा मनी म्यूल्स की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया AI-आधारित एक टूल है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को इसे उपयोग करने के लिए सलाह दी गई है।
- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली: इसे 2021 में I4C के तहत लॉन्च किया गया था, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग की जा सके और धोखाधड़ी करने वालों द्वारा फंड को अवैध रूप से निकालने से रोका जा सके।
- ई-जीरो FIR: I4C ने एक नई प्रणाली शुरू की है, जो 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पोर्टल पर दर्ज 10 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी वाली वित्तीय साइबर अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में परिवर्तित कर देती है।

भारत में शेरों की 16वीं गणना 2025 के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई

एशियाई शेरों की संख्या और वितरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो 'प्रोजेक्ट लायन' की सफलता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भी शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

- यह गणना गुजरात वन विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है।
- प्रोजेक्ट लायन (2020) का लक्ष्य शेरों का दीर्घकालिक संरक्षण करना है, ताकि वे अपनी पारिस्थितिकी भूमिका निभा सकें और अपनी जैविक क्षमता बनाए रख सकें।
 - शेरों की रेडियो कॉलरिंग जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से निगरानी की जा रही है तथा रोग प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- एशियाई शेर (पेंथेरा लियो पर्सिका) के बारे में
 - पर्यावास: घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियाँ और खुले वन।
 - इनकी आबादी मुख्य रूप से गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) में ही पाई जाती है।
 - बर्दा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए "दूसरे पर्यावास" के रूप में उभरा है।
 - IUCN स्थिति: वल्नरेबल।
 - यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I और अनुसूची-IV में सूचीबद्ध है तथा CITES के परिशिष्ट-I में शामिल है।
 - एशियाई शेर की विशेषताएँ:
 - एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में आकर में थोड़े छोटे होते हैं।
 - एशियाई शेरों (अफ्रीकी शेरों में दुर्लभ) में देखी जाने वाली एक विशिष्ट विशेषता उनके पेट के नीचे गर्दन से पूँछ तक त्वचा की एक तह है।
 - एशियाई नर शेर का अयाल कम घना होता है, जिससे उसके कान हमेशा दिखाई देते हैं।
 - शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है।

एशियाई शेर



शेरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें

- इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस (IBCA): इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। यह शेरों सहित सभी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- ग्रेटर गिर संकल्पना: इसका उद्देश्य गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से परे भी शेरों के लिए अतिरिक्त उपयुक्त पर्यावास विकसित करना है।
 - संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करने के लिए गिरनार, पनिया और मितियाला जैसे अभयारण्यों को अधिसूचित किया गया है।
- एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट: इसके तहत मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों को बसाना प्रस्तावित है।
- शेरों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकियाँ: सिम्बा (SIMBA), ई-गुजफॉरेस्ट और अलर्ट जनरेशन सिस्टम जैसी एआई-संचालित प्रणालियाँ।

“भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियां” नामक रिपोर्ट जारी की गई

यह रिपोर्ट बिहार के पटना में संपन्न हुई पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (IBSM) में जारी की गई थी।

- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद (ICRIER) तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।

IBSM के बारे में

- IBSM का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा बिहार सरकार, APEDA और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (TPCI) के साथ मिलकर किया गया था।
- TPCI विदेश व्यापार नीति में अधिसूचित एक शीर्ष व्यापार और निवेश संवर्धन संगठन है।
- इसका उद्देश्य खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, बिहार की समृद्ध कृषि क्षमता को उजागर करना आदि है।

मखाना (यूरिएल फेरोक्स) के बारे में

- यह गोरगोन नट/ वाटर लिली का फूल हुआ दाना होता है। यह तालाबों, झीलों और ढलदलों जैसे स्थिर जल निकायों में उगने वाली एक जलीय फसल है।
- यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों में उगाया जाता है।
- स्थिति: भारत इसके वैश्विक उत्पादन में एक अग्रणी देश है। मखाना की कुल वैश्विक आपूर्ति में भारत की 90% भागीदारी है, जिसमें अकेला बिहार (मिथिला क्षेत्र) 85-90% का योगदान देता है।
- अत्यधिक उत्पादन हिस्सेदारी के बावजूद, कुल उत्पादन का केवल 1-2% ही निर्यात किया जाता है।
- पोषक तत्व: यह आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। यह एक अल्प वसा वाला खाद्य है।
- लाभ: यह कम ग्लाइसेमिक लोड वाला खाद्य एंटी-एजिंग गुण से भरपूर है।

निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीतियां



समर्पित HSN (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर) कोड के उपयोग को बढ़ावा देना।



PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) फ्रेमवर्क के तहत मखाना बोर्ड का संचालन करना।



ग्रेडिंग, पैकेजिंग और नीलामी के लिए केंद्रीकृत हब स्थापित करना।

चीन और पाकिस्तान ने ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)’ के अफगानिस्तान तक विस्तार पर सहमति जताई

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की शुरुआत 2015 में हुई थी। यह चीन की ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) परियोजना का हिस्सा है।

- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अरबों डॉलर की परियोजना है। इसे चीन ने 2013 में दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ने के लिए शुरू किया था।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के बारे में

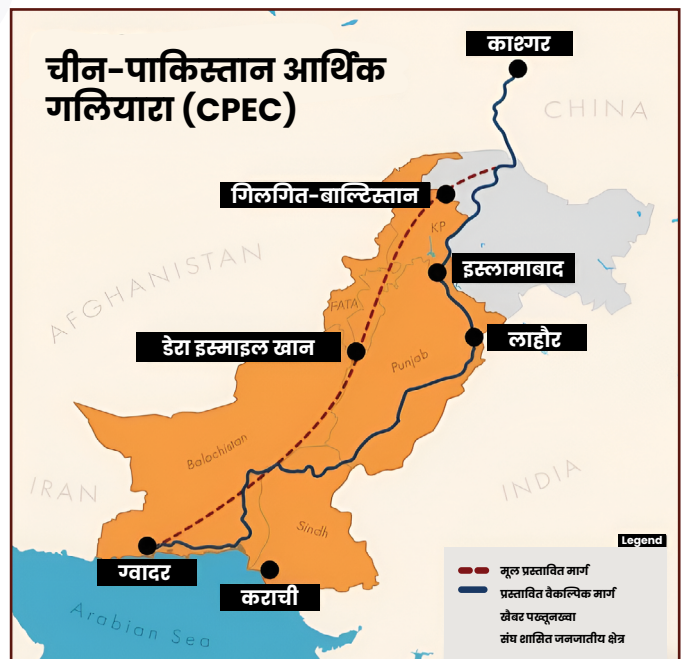
- यह लगभग 3000 किलोमीटर लंबा गलियारा है। यह चीन के सुदूर पश्चिमी शिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है।
- CPEC उस स्थान पर स्थित है, जहां सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी का की समुद्री सिल्क रोड मिलते हैं।

CPEC को लेकर भारत की चिंताएं

- प्रादेशिक संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन: CPEC पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है। चूंकि PoK भारत के जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए भारत इस परियोजना को अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है।
- भू-सामरिक चिंताएं: चीन द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकास उसकी ‘मोतियों की माला रणनीति’ (String of Pearls) का ही हिस्सा है। इससे अरब सागर में भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार के समक्ष खतरा पैदा हो सकता है।
- भू-राजनीतिक चिंताएं: चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान त्रिपक्षीय संबंधों का मजबूत होना दक्षिण एशिया में भारत के लिए भू-राजनीतिक खतरे और सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न करेगा।

CPEC के खिलाफ प्रतिक्रिया में भारत द्वारा उठाए गए कदम

- चाबहार बंदरगाह (ईरान): भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC): यह भारत को मध्य एशिया और यूरेशिया से जोड़ता है। इस गलियारे में पाकिस्तान शामिल नहीं है।
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC): इस पहल का उद्देश्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच संपर्क बढ़ाना तथा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाना है। इससे क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।



केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 'अरावली लैंडस्केप की पुनर्बहाली के लिए विस्तृत कार्य योजना' का अनावरण किया

इस कार्य योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने चारों राज्यों (राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात) के सभी हितधारकों से अरावली लैंडस्केप की पुनर्बहाली में 'समग्र सरकार' (Whole of Government) और 'समग्र समाज' (Whole of Society) के दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह किया।

अरावली पर्वत श्रृंखला वन क्षरण, पशु विस्थापन, अवैध खनन आदि से संबंधित चिंताओं का सामना कर रही है।

कार्य योजना के बारे में

यह अरावली की पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करने के लिए एक विज्ञान-आधारित, सामुदायिक नेतृत्व वाली और नीति-समर्थित रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है।

अरावली के बारे में

यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण से भी पुरानी है।

यह भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है।

यह भारत के मानसून चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश के तापमान को विनियमित करने का कार्य करती है।

यह एक अवरोधक के रूप में भी कार्य करती है। यह थार के मरुस्थल को राजस्थान और गुजरात के कृषि क्षेत्रों में फैलने से रोकती है।

अरावली की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहलें

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट: यह चारों राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 5 कि.मी. के बफर क्षेत्र को हरा-भरा करने की एक पहल है।

राज्य सरकार के उपाय: 2016 में हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत मांगर बानी क्षेत्र (अरावली का हिस्सा) को "नो-कंस्ट्रक्शन जोन" घोषित किया गया था।

एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामला: निर्णयों की एक श्रृंखला में, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध व निषेध लगा दिया था।

कार्य योजना के 5 स्तंभ

पारिस्थितिक पुनर्बहाली	सामुदायिक भागीदारी	नीति और गवर्नेंस	सतत आजीविका	अनुसंधान और नवाचार
प्राकृतिक पुनर्सृजन	स्थानीय भागीदारी	विनियामक फ्रेमवर्क	इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना	GIS- आधारित मैपिंग
देशज पादपों का रोपण	महिलाओं को शामिल करना	योजनाओं का अभिसरण	कृषि- वानिकी को बढ़ावा देना	रिमोट सेंसिंग का उपयोग
मृदा संरक्षण	युवाओं की भागीदारी	प्रभावी निगरानी	गैर-काष्ठ वन उत्पाद आधारित उद्यम	पुनर्बहाली पारिस्थितिकी प्रथाएँ

अन्य खबरियाँ

एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (APO)

भारत ने 2025-26 के लिए औपचारिक रूप से एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (APO) की अध्यक्षता ग्रहण की।

एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (APO) के बारे में

स्थापना: यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में आठ संस्थापक सदस्य देशों ने की थी।

भारत भी इन संस्थापक सदस्यों में शामिल है।

उद्देश्य: एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना।

सदस्य: इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

मुख्य भूमिकाएं:

- सदस्य देशों की नई आवश्यकताओं पर अनुसंधान करना और उन पर कार्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक एवं विकास नीतियों और प्रदर्शन का सर्वेक्षण करना, आदि।

जरोसाइट (Jarosite)

भारतीय शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र से प्राप्त जरोसाइट के नमूनों का अध्ययन किया।

गौरतलब है कि कच्छ क्षेत्र का शुष्क और खारा भू-भाग मंगल ग्रह की परिस्थितियों से मिलता-जुलता है।

जरोसाइट (Jarosite) के बारे में

यह पीले-भूरे रंग का खनिज है। इसमें पोटेशियम, लौह और सल्फेट पाए जाते हैं।

यह खनिज पृथ्वी और मंगल, दोनों ग्रहों पर पाया जाता है।

यह खनिज एलुनाइट सुपरग्रुप (Alunite Supergroup) का सदस्य है।

जरोसाइट का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?

- जरोसाइट के निर्माण के लिए जल और अम्लीय द्रव्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए मंगल पर इस खनिज का पाया जाना इस तथ्य का मजबूत प्रमाण है कि वहां कभी जल मौजूद था।
- यह खनिज ग्लाइसिन जैसे जैव-अणुओं (Organic molecules) को अपनी संरचना में फंसा कर रख सकता है। इससे यह खनिज मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।

iGOT कर्मयोगी

इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (iGOT) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ने 1 करोड़ उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।

iGOT कर्मयोगी के बारे में

इसे 2022 में शुरू किया गया था।

यह देश भर के सिविल सेवकों के लिए एक समग्र लर्निंग इकोसिस्टम उपलब्ध कराता है।

इस प्लेटफॉर्म पर सिविल सेवकों के लिए उनकी सुविधा के हिसाब से पाठ्यक्रम, वेबिनार और सहकर्म-आधारित लर्निंग के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें अभिशासन कौशल, नीतिगत कौशल, प्रबंधकीय कौशल और तकनीकी कौशल से जुड़े विषय शामिल हैं।

यह मिशन कर्मयोगी का एक प्रमुख घटक है।

मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा के क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवा को क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है।

इसे कर्मयोगी भारत नामक एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) द्वारा लागू किया जाता है।

इसे डिजिटल इंडिया स्टैक का एक अभिन्न हिस्सा मानते हुए विकसित किया गया है।

पॉलीब्यूटिलीन एडीपेट टेरिफ्थैलेट (PBAT)

त्रिपुरा के कमलपुर ने सिंगल-यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पॉलीब्यूटिलीन एडीपेट टेरिफ्थैलेट (PBAT) से बने कम्पोस्टेबल बैग्स प्रस्तुत किए हैं।

PBAT के बारे में

यह एक बायोडिग्रेडेबल (जैविक रूप से अपघटनीय), रसायन-मुक्त थर्मोप्लास्टिक को-पॉलीमर है।

थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलिमर होते हैं, जिन्हें गर्म करके नरम किया जा सकता है। इन्हें वांछित आकार देकर फिर से ठंडा करके कठोर बनाया जा सकता है।

इसे मक्का स्टार्च, गन्ने जैसे नवीकरणीय संसाधनों से बनाया जाता है।



अनिवार्यता का सिद्धांत (Doctrine of Essentiality)

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 'वक्फ' इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है।

‘अनिवार्यता का सिद्धांत’ के बारे में

- यह एक न्यायिक सिद्धांत है। इसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए प्रतिपादित किया है कि कौन-सी धार्मिक प्रथाएं अनिवार्य मानी जाएंगी और इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा प्राप्त होगी।
- इस सिद्धांत का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
- यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी धार्मिक प्रथा समानता, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन न करे।



एशियन जायंट सॉफ्टशेल टर्टल

केरल के कासरगोड में एशियन जायंट सॉफ्टशेल टर्टल को बचाने पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री ने दादासाहेब फाल्के पुरस्कार जीता।

➤ दादासाहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (DPIFF) पुरस्कार ‘भारतीय सिनेमा के जनक’ दादासाहेब फाल्के की विरासत का स्मरण करने के लिए दिया जाता है।

⊕ उन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म, राजा हरिश्चंद्र बनाई थी।

एशियन जायंट सॉफ्टशेल टर्टल (पेलोचेलिस कैटोरी) के बारे में

- इसे कैटोर का जायंट सॉफ्टशेल टर्टल कहा जाता है, यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक लंबा मिठे पानी का कछुआ है।
- केरल में इसे भीमनमा (भीमन का अर्थ विशाल और आमा का अर्थ कछुआ) कहते हैं।
- पर्यावास: इसके पर्यावास में बड़ी तराई वाली नदियां, झीलें, जलाशय और मुहाने वाले क्षेत्र आते हैं। इनमें मैंग्रोव चैनल और नदी के मुहानों के पास के तटीय कीचड़ वाले मैदान भी शामिल हैं।
- IUCN स्थिति: क्लिकली एंडेजर्ड।
- इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित किया गया है।
- विशेषताएं:
 - ⊕ चपटा सिर और फैली हुई आँखें।
 - ⊕ इनका व्यवहार आक्रामक होता है। ये घात लगाकर शिकार करते हैं और बहुत तेज गति से हमला करते हैं। इनका जबड़ा बहुत मजबूत होता है।



खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (पादप संधि)

सिविल सोसाइटी संगठनों ने समान लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए पादप संधि और इसकी बहुपक्षीय प्रणाली (MLS) में सुधारों का आह्वान किया।

➤ MLS खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों हेतु सबसे बड़ा वैश्विक विनिमय तंत्र है। इसमें 64 सबसे महत्वपूर्ण फसलें शामिल हैं।

खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (पादप संधि) के बारे में

- इसे 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। इसे 2004 में लागू किया गया था।
 - ⊕ भारत इसका सदस्य है।
- उद्देश्य:
 - ⊕ किसानों, प्लांट ब्रीडर्स और वैज्ञानिकों को पादप आनुवंशिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक वैश्विक प्रणाली स्थापित करना;
 - ⊕ यह सुनिश्चित करना कि प्राप्तकर्ता आनुवंशिक सामग्री के उपयोग से प्राप्त लाभों को साझा करे।



INSV कौडिन्य

भारतीय नौसेना ने पारंपरिक रूप से टांका विधि से निर्मित इंडियन नेवल सेलिंग वेसल (INSV) कौडिन्य को नौसेना बेस, कारवार (कर्नाटक) में शामिल किया।

➤ भारत में पारंपरिक रूप से टांका विधि से जहाज निर्माण को टंकाई विधि कहा जाता है।

INSV कौडिन्य के बारे में

- यह 5वीं शताब्दी ई. के एक जहाज पर आधारित है, जिसे अजंता की गुफाओं के चित्रों में दर्शाया गया है।
- इसका नाम कौडिन्य के नाम पर रखा गया है। यह एक पौराणिक भारतीय नाविक था, जिसने हिंद महासागर पार कर दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा की थी।
- जहाज के पतवार पर लकड़ी के तख्तों को नारियल की रस्सी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक राल का उपयोग करके टांका विधि से लगाया गया है।

टंकाई विधि

- यह 2000 साल पुरानी तकनीक है।
- इसमें, जहाज को कील का उपयोग करने की बजाय लकड़ी के तख्तों को एक साथ सिलाई कर बनाया जाता है।
- यह लचीलापन और अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। इससे इन्हें उथले पानी और रेत के टीलों से कम नुकसान होता है।

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



मालूर रामास्वामी श्रीनिवासन (1930-2025)

हाल ही में, डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया।

डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन के बारे में

- वे एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर थे।
- उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
- इसके अतिरिक्त, वे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के संस्थापक अध्यक्ष भी थे।
- प्रमुख योगदान:
 - ⊕ उन्होंने होमी जहाँगीर भाभा के साथ मिलकर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
 - ⊕ वे देश के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, अप्सरा के निर्माण में शामिल थे।
- रचनाएं: फ्रॉम फिशन टू फ्यूजन: द स्टोरी ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम आदि।
- मूल्य: वैज्ञानिक सोच, नेतृत्व क्षमता आदि।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर